13/4/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि ग्राम भूदोली पटवार मण्डल भूदोली स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सं0 198, 199 की खातेदारी में वादी का नाम जगदीश सिंह पुत्र सुल्तान सिंह दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। वादी का सही नाम कमल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम जगदीश सिंह पुत्र सुल्तान सिंह गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रतियां पेश की जिनमे वादी का सही नाम कमल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भूदोली बतौर साक्ष्य स्वयं का व पाबूदान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश सिंह पुत्र सुल्तान सिंह अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम कमल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र व बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये स्वयं के तथा पाबूदान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत भूदौली के प्रमाण पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादीया साबित है।

13/04/22

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भूदौली पटवार हल्का भूदौली स्थित भूमि खाता सं0 198, 199 में दर्ज खातेदार **जगदीश सिंह पुत्र सुल्तान सिंह** के स्थान पर **कमल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास [illegible] गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर [illegible] कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 14:56:06 IST
Reason: SelfAttested

13/04/22

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना